

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260048
SG-DL-E-08012025-260048असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/पौष 12, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 317
No. 05]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/PAUSHA 12, 1946	[N. C. T. D. No. 317

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार एवं कर विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 2 जनवरी, 2025

फा. सं. IV/18/व्या. एवं कर/एचआर/भर्ती नियम/2022/47.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “मल्टी टास्किंग स्टाफ” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों को व्यापार एवं कर विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता:—वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा की है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के उपबंधों को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या कोई अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	:	71* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मेट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति – 1. प्रधान सचिव/सचिव (लोक निर्माण विभाग) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (शहरी विकास) – सदस्य

		टीप :- यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील कुमार सिंह, विशेष आयुक्त

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2025

No. F. IV/18/T&T/HR/RRs/2022/47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him. (i) dated, the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff' in Department of Trade & Taxes, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement.** - (i) These rules may be called the Department of Trade and Taxes, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2024.

(i) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Pay Level in Pay Matrix** - The number of the said posts, their classification and the level of pay thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications** - No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operations of this rule.

5. **Power so to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary any of to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post.	Multi Tasking Staff (MTS)
2.	Number of posts.	71*(2024) *Subject to variation dependent on work load.
3.	Classification.	General Central Service Group "C" Non-Gazetted, Non Ministerial
4.	Level in the pay matrix.	Pay Level-1 (Rs. 18000-56900/-) as per 7 th CPC
5.	Whether selection or non-selection.	Not Applicable

6.	Age limit for direct recruits.	18-25* years (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issues by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential: i). Matriculation or equivalent pass from a recognized Board/ Institution
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Two years for direct recruits
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not Applicable
12.	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition.	Group-‘C’ DCC for considering confirmation 1.Principal Secretary/ Secretary (PWD) –Chairperson 2.Head of the Department, Concerned –Member 3. Deputy Secretary (UD) –Member Note :- Senior most member of the DCC shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the DCC.
13.	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

By the Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL KUMAR SINGH, Special Commissioner